नियम 128 : स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण

(1) स्थायी समिति, किसी हितब) पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति पर [1][दो माह के भीतर] [2][या ऐसी विस्तारित अवधि जो लिखित में अभिलेखब) किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाए], आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टतया साक्ष्य है।

(2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों [3][या ऐसे आवेदन जो स्थायी समिति द्वारा अग्रेषित् किए जाए] का प्रथमतः राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा [4][लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात लिखित में लेखब) कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर] किया जाएगा, यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफारिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा।

---

1 ये शब्द अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिए गए है।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

4 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।